जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/57 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 3 अप्रैल 2021

जे.डी.ए. के ज़ोन-10 में स्थित आवासीय भूखंड संख्या 50,मयूर विहार,जगतपुरा रोड,जयपुर पर महज 15 दिनों में बनी अवैध दुकानों में व्यवसायिक गतिविधियों चालू|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है भूखंड संख्या 50,मयूर विहार,जगतपुरा रोड का पूरा मामला?

गत वर्ष नवम्बर माह में स्थानीय सूत्रों द्वारा बताया गया कि जे.डी.ए. के ज़ोन 10 में स्थित जे.डी.ए. की गैर-अनुमोदित योजना मयूर विहार के आवासीय भूखंड संख्या 50 पर दुकाने बनायीं जा रही है जिसकी जे.डी.ए. में शिकायत करने पर भी जे.डी.ए. अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है|इस मामले को हमारे द्वारा संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 11201499017096/28-Nov-2020 के जरिये जे.डी.ए के जिम्मेदार अधिकारीयों के संज्ञान में लाया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री श्री निवास जांगिड द्वारा 21/12/2020 को बताया गया कि मौका देखा गया वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं चलता पाया गया|हमारे द्वारा असंतुष्ट होने पर उच्चाधिकारियों द्वारा पत्रावली ज़ोन में भेजी गयी ज़ोन की रिपोर्ट में बताया गया कि योजना गैर अनुमोदित है,जिसमें व्यवसायिक गतिविधियाँ चल रही है| परन्तु ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री श्री निवास जांगिड द्वारा पुनः दिनांक और 10/01/2021 को रटारटाया जवाब दे दिया कि मौका देखा गया वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं चलता पाया गया|

Jaipur Development Authority (JDA), Enforcement Officer, (Enforcement), Enforcement Officer - 10	, , ,	Partially Special Closed	10-Jan-2021	वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं चलता पाया गया

संपर्क पोर्टल पर श्री श्री निवास जांगिड द्वारा दिया गया जवाब

श्री श्री निवास जांगिड के जवाब से असंतुष्ट होने पर मांगी गयी थी सुचना के अधिकार के तहत जानकारी

ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री श्री निवास जांगिड के जवाब से व्यथित होकर हमारे द्वारा सुचना के अधिकार के तहत 11 बिन्दुओं की सुचना मांगी गयी जिसका जवाब देते हुए श्री श्री निवास जांगिड द्वारा बताया गया कि प्रकरण में धारा 32 के तहत 25/03/2021 को नोटिस जारी किया गया है|प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है|

श्री श्री निवास जांगिड ने अपने कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही पर लगाया ताला

लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अवैध निर्माणों के खेल में प्रवर्तन अधिकारी की मिलीभगत जग-जाहिर होने के बावजूद ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री श्री निवास जांगिड इस प्रकरण से सम्बंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं पर सांप की तरह फन फैलाये बैठे है|उनके द्वारा तो हमें अपने द्वारा जारी किये गए नोटिस की प्रति तक देना उचित नहीं समझा|हमारी 11 बिन्दुओं की सुचना के जवाब में दो लाईन लिखकर वह इस ग़लतफ़हमी में है कि वह अपने स्वजातीय बंधू के इस इस मामले को दबा सकते है|

सूचना का अधिकार

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302004

क्रमांक–जविप्रा / प्र.अ. / जोन–10 / 2021 / डी– 171   दिनांक–: 30.03.21

श्री ज्ञानेश कुमार,
एस–1, सैकण्ड फ्लोर,
झारखण्ड मोड, संगत सिंह मोड,
खातीपुरा, जयपुर
मो. न. 9828346151

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2005 की धारा 6 (1) के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भः– नागरिक सेवा केन्द्र जविप्रा का पंजीयन क्रमांकः–177203 दिनांक 09.03.21 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत नागरिक सेवा केन्द्र जविप्रा का पंजीयन क्रमांकः–177203 दिनांक 09.03.21 के द्वारा ग्राम आवसीय भूखण्ड संख्या 50, मयूर विहार, जगतपुरा रोड, जयपुर के उक्त प्रकरण से संबधित 11 बिन्दुओ की सूचना चाही गयी थी।

उक्त प्रकरण में धारा 32 का नोटिस दिनांक 25.03.21 को जारी किया जा चुका है। प्रकरण में कार्यवाही प्रकियाधीन है।

सूचनार्थ प्रेषित है।

(श्रीनिवास जांगिड)
लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रवर्तन अधिकारी जोन–10

प्रवर्तन अधिकारी जोन
जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी अधिकारी नागरिक सेवा केन्द्र जविप्रा का पंजीयन क्रमांकः–177203 दिनांक 09.03.21 के कम में सूचनार्थ।

सुचना के अधिकार के तहत श्री श्री निवास जांगिड द्वारा दी गयी जानकारी

(श्रीनिवास जांगिड)
लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रवर्तन अधिकारी जोन–10

प्रवर्तन अधिकारी जोन
ज वि प्राधिकरण
जयपुर

जवाब मांगते सवाल?

(14) Whoever, being an employee of the Authority, specifically entrusted with duty to stop or prevent the encroachment or obstruction punishable under this section, wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such encroachment or obstruction, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to [one year or with fine which may extend to five thousand rupees] or with both.

जे.डी.ए. एक्ट की धारा 72 की उपधारा 14 के तहत अवैध निर्माणों के विरुद्ध जानबूझ कर लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ एक साल की सजा का प्रावधान

जे.डी.ए. एक्ट की धारा 72 की उपधारा 14 के तहत अवैध निर्माणों में जानबूझ कर,टालने के उद्देश्य से,लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के खिलाफ एक साल की सजा या पांच हजार के जुर्माने का प्रावधान है,अब देखना यह है कि इस दूकान पर कार्यवाही में लापरवाही बरतने का जिम्मेदार कौन है?

1. जब इस दूकान का निर्माण कार्य चल रहा था तब इस अवैध निर्माण को क्यों नहीं नोटिस दिया गया ?क्यों स्थानीय निवासियों की शिकायतों को फाड़ कर फैंक दिया गया?
2. आखिर क्या कारण है कि संपर्क पोर्टल पर दिए गए अपने जवाब के अनुसार दिनांक 21/12/2020 और 10/01/2021 को मौका देख कर कोई निर्माण नहीं चलने का दावा करने वाले ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री श्री निवास जांगिड को 25/03/2021 को नोटिस देना पड़ा?आखिर क्यों उनके द्वारा दिनांक 21/12/2020 और 10/01/2021 को ही नोटिस नहीं दिया गया?
3. क्या स्वजातीय होने के कारण ही बचा रहे थे श्री श्री निवास जांगिड इस अवैध निर्माण को या फिर कोई और बड़ा कारण है?

4. आखिर क्यों श्री श्री निवास जांगिड हमारे 11 बिन्दुओं की सुचना नहीं दे रहे है?क्या गड़बड़झाला चल रहा है इस अवैध निर्माण की फाईल में?
5. क्या हमारे द्वारा जे.डी.ए. के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय श्री रघुवीर प्रसाद सैनी के संज्ञान में यह मामला लाने पर वह इस पत्रावली को तलब कर इन अवैध दुकानों को सील/ध्वस्त करवाएंगे और श्री जांगिड के विरुद्ध जे.डी.ए. एक्ट की धारा 72 की उपधारा 14 के तहत अवैध निर्माणों में जानबूझ कर,टालने के उद्देश्य से,लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के कार्यवाही की अनुशंसा करेंगे?
6. क्या जे.डी.ए. के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय श्री रघुवीर प्रसाद सैनी ज़ोन 10 में चल रहे अन्य अवैध निर्माणों में श्री जांगिड की संलिप्तता की जांच करवाएंगे?
7. क्या यह कार्यवाही महज नोटिस देने तक ही जारी रहेगी या फिर इन अवैध दुकानों को ध्वस्त भी किया जाएगा?